प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक - 3501/2004

याचिकाकर्ता : पी.आर.के. राव, आत्मज स्व. रामा राव, उम्र लगभग 56 वर्ष, पूर्व सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.), भारतीय खाद्य निगम, निवासी- डी/38, सेक्टर-2, देवेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

बनाम

उत्तरदातागण :

1. भारतीय खाद्य निगम, द्वारा प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, 16-20, बाराखंबा लेन, नई दिल्ली
2. क्षेत्रीय प्रबंधक (पश्चिम), भारतीय खाद्य निगम, मिस्त्री भवन, डी.डब्ल्यू. रोड, चर्च गेट, मुंबई (महाराष्ट्र)
3. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, रिंग रोड, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत परमादेश/उप्रेषण आदि की प्रकृति में उपयुक्त रिट या समान प्रकृति में निर्देश/आदेश जारी करने हेतु रिट याचिका

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 3501/2004

पी.आर.के. राव बनाम भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3842/2004

डी.पी. राजपूत बनाम भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4059/2004

मनहरण लाल गुप्ता बनाम भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3678/2004

विनोद आचार्या बनाम भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्रमांक 4104/2004

नीलकंठ पीडी. शर्मा बनाम भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4429/2004

राम अवतार शर्मा बनाम भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य

---

11 मई 2005 को आदेश हेतु सूचीबद्ध किया गया

सही/-

(एल.सी. भादू)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 3501/2004

पी.आर.के. राव बनाम भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3842/2004

डी.पी. राजपूत बनाम भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4059/2004

मनहरण लाल गुप्ता बनाम भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3678 2004

विनोद आचार्या बनाम भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4104/2004

नीलकंठ पीडी. शर्मा बनाम भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4429/2004

राम अवतार शर्मा बनाम भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य

उपस्थित :-

श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता	:	याचिकाकर्ता रिट याचिका क्रमांक 3678/04 हेतु
श्री पी.एस. कोशी, अधिवक्ता	:	याचिकाकर्ता रिट याचिका क्रमांक 4429/04 हेतु
श्री विनय पांडे, अधिवक्ता	:	याचिकाकर्ता रिट याचिका क्रमांक 3501/04 हेतु
श्री योगेश पांडे, अधिवक्ता	:	याचिकाकर्ता रिट याचिका क्रमांक 4059/04, 3678/04, एवं 4104/04 हेतु
श्री किशोर भादुड़ी, अधिवक्ता	:	उत्तरदातागण हेतु
श्री बी.पी. गुप्ता, अधिवक्ता	:	रिट याचिका क्रमांक 4429/04 हेतु में उत्तरवादी हेतु

आदेश

(11 मई, 2005 को पारित)

<u>माननीय श्री एल.सी. भादू, न्यायाधीश के अनुसार</u>

1. रिट याचिका क्रमांक 3842/2004 डी.पी. राजपूत द्वारा दायर की गई है, जो भारतीय खाद्य निगम में सहायक प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे, रिट याचिका क्रमांक 4429/2004 रामावतार शर्मा द्वारा दायर की गई है, जो भारतीय खाद्य निगम में सहायक ग्रेड-I (डी) के रूप में कार्यरत थे, रिट याचिका क्रमांक 3501/2004 पी.आर.के. राव द्वारा दायर की गई है, जो भारतीय खाद्य निगम में सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.) के पद पर कार्यरत थे, रिट याचिका क्रमांक 3678/04 विनोद आचार्य द्वारा दायर की गई है, जो भारतीय खाद्य निगम में सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.) के पद पर कार्यरत थे, रिट याचिका क्रमांक 4059/2004 मनहरण लाल गुप्ता द्वारा दायर की गई है, जो सहायक ग्रेड-III (डिपो) के पद पर कार्यरत थे, एवं रिट याचिका क्रमांक 4104/2004 नीलकंठ प्रसाद शर्मा द्वारा दायर की गई है, जो भारतीय खाद्य निगम में सहायक ग्रेड-II (डी) के पद पर कार्यरत थे, जिसे इस सामान्य आदेश द्वारा निराकृत किया जा रहा है क्योंकि इन सभी रिट याचिकाओं में उत्तरवादी -निगम द्वारा परिपत्र क्रमांक ईपी-01-2004-16 दिनांक 29.6.2004 के तहत जारी स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की व्याख्या शामिल है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2. इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्तागण का मामला यह है कि उत्तरदाता-निगम ने अपने परिपत्र क्रमांक ईपी-01-2004-16 दिनांक 29.6.2004 के तहत अपने कर्मचारियों हेतु स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की थी एवं उस योजना की समय अवधि तीन महीने यानी दिनांक 29.6.2004 से 29.9.2004 तक थी। पहले तो याचिकाकर्तागण ने, जो उत्तरदाता-निगम के कर्मचारी थे, उक्त योजना के अनुसरण में स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अपने आवेदन प्रस्तुत किए। हालांकि, बाद में याचिकाकर्तागण द्वारा स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति सम्बन्धी अपने आवेदन वापस लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, लेकिन उत्तरदाता-निगम ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसके विपरीत स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु उनके आवेदन स्वीकार कर लिया गया। अतः, याचिकाकर्तागण ने उत्तरदाता-निगम के आदेशों की वैधता, औचित्यता एवं विधिमान्यता पर सवाल उठाया है, जिसके तहत उत्तरदाता-निगम ने याचिकाकर्तागण के स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदनों को इस तथ्य के बावजूद स्वीकार कर लिया कि उन्हें उनके द्वारा वापस ले लिया गया था। अतः, इन याचिकाओं में प्रश्न यह है कि क्या उत्तरदाता-निगम द्वारा याचिकाकर्तागण को स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु उनके आवेदन वापस लेने की अनुमति न देना अवैध एवं मनमाना है।

3. इन रिट याचिकाओं को दायर करने के पीछे संक्षिप्त तथ्य यह है कि भारतीय खाद्य निगम की लागत को कम करने के उद्देश्य से मानव-शक्ति युक्तिकरण प्राप्त करने हेतु, निगम ने दिनांक 29.6.2004 को

अनुलग्नक पी-1 के अनुसार स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की थी। योजना की प्रस्तावना के पैरा 1 के उप-पैरा (2) में यह परिकल्पित है कि :-

"निगम को लिखित लिखित कारण लेख करते हुए किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति न देने का अधिकार होगा।"

पैरा (1) के उप-पैरा (3) में उत्तरदाता निगम के कर्मचारियों को यह बताया गया कि:

"योजना परिपत्र जारी होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के लिए लागू रहेगी तथा निगम को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोधों को स्वीकार करने का अधिकार होगा। योजना का दायरा यह था कि यह निगम के स्थायी कर्मचारियों अर्थात सीधी भर्ती, खाद्य स्थानान्तरित व्यक्ति, जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के पेंशन लाभ या एफसीआई के सेवानिवृत्त लाभो के विकल्प को चुना है तथा प्रतिनियुक्ति पर आए संविलियन हुए कर्मचारियों के लिए था ।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पात्रता के संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि :-

"केवल निगम के स्थायी कर्मचारी ही पात्र होंगे तथा वे निर्धारित सीमा के भीतर सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देकर स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी तीन महीने की नोटिस अवधि या नोटिस अवधि की शेष अवधि के लिए भुगतान हेतु सशक्त था तथा नोटिस अवधि की समाप्ति की तिथि से पहले किसी भी तिथि से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को स्वीकार करने हेतु हकदार था।"

पात्रता मानदंड के पैरा-4 के उप-पैरा (3) में यह स्पष्ट किया गया है कि :-

"स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदनों की जांच कर्मचारियों के खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि, यदि कोई हो, के संदर्भ में की जाएगी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध पर प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह उन कर्मचारियों तक विस्तारित हो, जिनकी सेवाएं निगम को नुकसान पहुंचाए बिना समाप्त की जा सकती हैं। यह सुनिश्चित करने हेतु ध्यान रखा जाएगा कि अत्यधिक कुशल एवं योग्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विकल्प न दिया जाए। इसके अलावा, स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति से इनकार किया जा सकता है जहां विभागीय कार्यवाही शुरू

की गई है या विचाराधीन है या जहां अभियोजन या तो विचाराधीन है या वास्तव में संबंधित कर्मचारी के खिलाफ शुरू किया गया है।"

योजना का पैरा-7 सक्षम प्राधिकारी के बारे में बताता है, जिसमें यह परिकल्पित है कि:-

"उपर्युक्त योजना के प्रयोजन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने वाले प्राधिकारी होंगे।"

पैरा-8 प्रक्रिया से संबंधित है एवं पैरा-8 के उप-पैरा (क) में यह परिकल्पित है कि:-

"कोई पात्र कर्मचारी इस योजना के तहत स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में उचित माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पैरा-8 के उप-पैरा (ख) में यह परिकल्पना की गई है कि:-

"इस योजना के तहत कर्मचारी की स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति सतर्कता मंजूरी के अधीन होगी।"

पैरा-8 के उप-पैरा (ग) में यह परिकल्पित है कि :-

"यह योजना किसी भी कर्मचारी को स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु उसके अनुरोध को स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं देती है। निगम को किसी भी कर्मचारी के स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा, सेवा अभिलेख, संगठनात्मक आवश्यकता एवं इस संबंध में किसी भी अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जावेगा "।

पैरा-8 के उप-पैरा (घ) में यह परिकल्पित है कि :-

"एक बार जब कोई कर्मचारी इस योजना के तहत स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अपना आवेदन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करता है, तो उसे अंतिम माना जाएगा एवं कर्मचारियों को इसे वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। सक्षम प्राधिकारी नोटिस अवधि (3 महीने) के भीतर अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेगा एवं संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना देगा।"

तत्पश्चात, 22.9.2004 को एक एवं स्पष्टीकरण जारी किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि परिपत्र क्रमांक ईपी-01-2004-16 दिनांक 29.6.2004 के तहत जारी स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना के संबंध में, जिसमें यह प्रावधान है कि एक बार जब कोई कर्मचारी इस योजना के तहत स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अपना आवेदन सक्षम प्राधिकारी को सौंप देता है, तो उसे अंतिम माना जाएगा एवं कर्मचारी उसे वापस नहीं ले सकेगा, मुख्यालय को व्यवसाय संघों आदि से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें उक्त प्रावधान में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है ताकि कर्मचारी अपनी परिस्थितियों में परिवर्तन के दृष्टिकोण में स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अपने अनुरोध वापस लेने की अनुमति मिल सकें एवं उक्त अभ्यावेदनों की कानूनी एवं वित्त प्रभागों के परामर्श से जांच की गई है एवं सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि हालांकि यह योजना स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन को वापस लेने की अनुमति नहीं देती है, फिर भी ऐसे आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेक हमेशा सक्षम प्राधिकारी के पास रहेगा। तदनुसार सभी प्राधिकारियों को स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन को वापस लिए जाने के अनुरोध पर प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर विनिर्दिष्ट निर्णय लेने की सलाह दी जाती है ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अतः, इस परिपत्र द्वारा व्यवसाय संघों की मांग पर विचार करते हुए संबंधित योजना के पैरा-8 के उप-पैरा (घ) में कुछ हद तक छूट दी गई थी, जिसके तहत पहली बार में प्रत्येक कर्मचारी को यह बताया गया था कि एक बार जब कोई कर्मचारी स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसे अंतिम माना जाएगा एवं कर्मचारी इसे वापस नहीं ले सकता है। लेकिन कर्मचारियों को स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अपने आवेदन वापस लेने हेतु आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, ऐसे पूर्व के आवेदन की वापसी हेतु आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेक सक्षम प्राधिकारी के पास छोड़ दिया गया था। आगे यह भी कहा गया कि संबंधित प्राधिकारी मामला-दर-मामला आधार पर स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति अनुरोध को वापस लेने का निर्णय लेगा ।

4. यचिकाकर्तागण के विद्वान अध्वक्ता ने **बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम ओ.पी. स्वर्णकार एवं अन्य**, जो कि **(2003) 2 सुप्रीम कोर्ट केस 721** में प्रकाशित है, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लेते हुए तर्क दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के दृष्टिकोण में योजना के पैरा-8 के उप-पैरा (घ) के अस्तित्व में होने पर भी याचिकाकर्ता स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के अपने प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने से पहले वापस लेने हेतु हकदार थे एवं इस मामले में, याचिकाकर्ताओं ने स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्ताव के स्वीकृति के पूर्व ही अपने आवेदन को वापस लेने हेतु आवेदन दायर किए थे, अतः, उत्तरदाता-निगम को उनके वापसी के आवेदनों को स्वीकार करना

चाहिए था एवं उन्हें सेवाओं में जारी रखने की अनुमति देनी चाहिए थी। इस प्रकार, स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति को वापस लेने हेतु यचिकाकर्तागण की प्रार्थना को खारिज करना एवं उनकी स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति को स्वीकार करने का आदेश आक्षेपित अनुचित था, यह मनमाना है एवं इसे निरस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि परिपत्र दिनांक 22.9.2004 द्वारा दी गई छूट को दृष्टिगत रखते हुए, यचिकाकर्तागण के वापसी के अनुरोध को स्वीकार किया जाना चाहिए था।

5. दूसरी ओर, उत्तरदाता-निगम के विद्वान अधिवक्ता श्री किशोर भादुड़ी एवं श्री बी.पी. गुप्ता ने तर्क दिया कि प्रथम दृष्टया यचिकाकर्तागण ने योजना की वैधता एवं विधिमान्यता को चुनौती नहीं दी है, अतः, यचिकाकर्तागण स्वयं योजना से बंधे हैं एवं जब तक योजना के प्रासंगिक पैरा को निरस्त नहीं किया जाता है, तब तक रिट याचिकाएं संधार्य नहीं हैं। उत्तरदाता-निगम के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दूसरा तर्क यह है कि चूंकि उत्तरदाता-निगम द्वारा प्रस्तुत योजना एक संविदा थी, अतः यचिकाकर्तागण ने उत्तरदाता के निमंत्रण के संबंध में प्रस्ताव दिया एवं उसे उत्तरदाता-निगम द्वारा स्वीकार कर लिया गया, अतः विवाद संविदात्मक मामले से संबंधित है एवं संविदात्मक मामलों में परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती। उत्तरदाता-निगम के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि चूंकि योजना शुरू करते समय कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि एक बार स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन करने के बाद, कर्मचारी इसे वापस लेने हेतु हकदार नहीं होंगे। अतः, योजना के पैरा 8 के उप-पैरा (घ) के अनुसार याचिकाकर्ता स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अपने आवेदन वापस लेने हेतु अधिकारी नहीं थे। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि बाद में जारी स्पष्टीकरण भी यचिकाकर्तागण को अपने स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन वापस लेने का कोई अधिकार नहीं देता है, क्योंकि वापसी आवेदन पर विचार करने का विवेक सक्षम प्राधिकारी पर छोड़ दिया गया था। हालांकि, उत्तरदाता प्राधिकारी स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन वापस लेने हेतु आवेदन स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं था। प्राधिकरण को मामले-दर-मामला आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता थी एवं उन्होंने निर्णय लिया, अतः, याचिकाकर्ता स्पष्टीकरण के पत्र का भी कोई लाभ लेने के हकदार नहीं थे, क्योंकि एकमात्र विवेक सक्षम प्राधिकारी के पास था।

6. श्री गुप्ता, उत्तरदाता-निगम के अधिवक्ता ने डब्ल्यू.पी. क्रमांक 4429/2004 में **बलराम गुप्ता बनाम भारत संघ एवं एक अन्य**, जो कि **एआईआर 1987 सुप्रीम कोर्ट 2354** में प्रकाशित है, का अवलंब लेते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अपना आवेदन वापस लेने का हकदार नहीं था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. उभय पक्षकार के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, अभिलेखों का अवलोकन करने एवं इस आदेश के पिछले भाग में उल्लेखित योजना के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करने के बाद, यदि हम संबंधित योजना के पैरा-8 के उप-पैरा (घ) के प्रासंगिक प्रावधानों पर गौर करें तो यचिकाकर्तागण को बताया गया था कि एक बार उन्होंने सक्षम प्राधिकारी को स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर दिया तो उसे अंतिम माना जाएगा एवं कर्मचारी इसे वापस नहीं ले सकता है। यदि हम राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के प्रावधानों पर भी गौर करें, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ओ.पी. स्वर्णकार के मामले में विचाराधीन था, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की योजना के पैरा 10.5 में यह परिकल्पित है कि :-

> *"कर्मचारी के लिए इस योजना के तहत स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु किए गए अनुरोध को वापस लेना संभव नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा विकल्प चुना है।"*

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

तदनुसार, विचाराधीन योजना के पैरा-8 का उप-पैरा (घ) एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का पैरा 10.5 समविषय है एवं उस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविदा अधिनियम की धारा 5 एवं योजना के प्रावधानों पर विचार करने के बाद माना कि कर्मचारी स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अपने प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने से पहले वापस लेने के हकदार थे, बशर्ते कि उन्होंने योजना के तहत लाभ का कोई हिस्सा स्वीकार न किया हो। निर्णय के पैरा 74 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि :-

> *"... स्वैच्छिक योजना कोई प्रस्थापना या प्रस्ताव नहीं था, बल्कि केवल एक आमंत्रण था एवं कर्मचारियों द्वारा दायर आवेदन एक "प्रस्ताव" था एवं एक बार कर्मचारियों द्वारा दायर आवेदन को "प्रस्ताव" मान लिया जाता है, तो धारा 5, इसके विपरीत किसी अन्य स्वतंत्र बाध्यकारी संविदा या क़ानून या वैधानिक नियमों के अभाव में, लागू होगी।"*

उपर्युक्त निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक ओर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा तैयार की गई स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना एवं दूसरी ओर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा तैयार की गई स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के बीच अंतर है। दोनों योजनाओं में अंतर यह था कि एसबीआई स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के मामले में, कर्मचारी-आवेदक को योजना से हटने के लिए पंद्रह दिनों का अवसर दिया गया था, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया था। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा तैयार की गई स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के मामले में, पैरा 10.5 में यह निर्धारित किया गया था कि किसी कर्मचारी के लिए स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अपना आवेदन वापस लेना संभव नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा विकल्प चुना है। इन

परिस्थितियों में, न्यायालय का यह विचार था कि भारतीय स्टेट बैंक का मामला अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा तैयार की गई योजनाओं की तुलना में अलग स्तर पर था। न्यायालय ने अपने निर्णय के पैराग्राफ 92 में अभिनिर्धारित किया कि :-

"92. हालांकि, भारतीय स्टेट बैंक का मामला थोड़ा अलग है। प्रथमतः, भारतीय स्टेट बैंक ने योजना में संशोधन नहीं किया था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उन्होंने 15 फरवरी के बाद आवेदन वापस लेने की भी अनुमति दी थी। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शुरू की गई योजना में एक पैरा (पैरा 7) शामिल था, जिसमें स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन पर विचार करने के तरीके एवं ढंग को बताया गया था। इसके पूर्व संदर्भित प्रासंगिक पैरा एक प्रवर्तनीय अधिकार का सृजन करता है। यदि स्टेट बैंक अपनी अधिमानी नीति का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे न्यायलय द्वारा विशेष रूप से प्रवर्तन किया जा सकता था। अतः, यह कुछ हद तक विचारणीय होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. यतः, राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में जहां वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं था, बैंक द्वारा स्वीकृति से पहले वापस ले ली जानी चाहिए। अतः, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात की शर्तों के अनुसार, कर्मचारी को एसबीआई वीआरएस के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिसंहरण का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। इस मामले में यह माना गया कि एसबीआई वीआरएस की योजना प्रस्ताव का आमंत्रण है। **स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम रोमेश चंद्र कनोजी एवं अन्य**, जो कि **(2004) 2 सुप्रीम कोर्ट केस 651** में प्रकाशित है, के मामले में ओ.पी. स्वर्णकार (पूर्वोक्त) के उपरोक्त निर्णय के दायरे पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि 'स्टेट बैंक ऑफ पटियाला स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रस्ताव का आमंत्रण है न कि प्रस्ताव' एवं उक्त स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के पैरा-5 में अन्य बातों के साथ कहा गया है कि योजना 15.02.2001 से 01.03.2001 की अवधि के लिए लागू होगी । नियम 5 एवं 8 के आलोक में पैरा (9)(i) को पढ़ना होगा, जो सामान्य शर्तों के बारे में बताता है एवं जिसके तहत यह प्रावधान है कि एक बार आवेदन किए जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। *चिट्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स* (28 वां संस्करण, पृष्ठ 125) में विद्वान लेखक ने कहा है कि :-

"किसी प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने से पहले किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। यह नियम तब भी लागू होता है, जब प्रस्तावक ने एक निश्चित समय के लिए प्रस्ताव को खुला रखने का वादा किया हो, क्योंकि ऐसा वचन प्रतिफल द्वारा असमर्थित होता है।"

अतः, एसबीपी वीआरएस का पैरा (5) कर्मचारी को 1.3.2001 तक वापस लेने का अधिकार देता है, जिसके बाद एसबीपी वीआरएस के पैरा (8) द्वारा परिकल्पित स्वीकृति का तरीका लागू होगा एवं बैंक आवेदनों की जांच करेगा। जैसा कि ऊपर कहा गया है, बैंक को अपनी दायित्व का पता लगाने के लिए समय चाहिए; एक अलग कोष बनाने की लागत का पता लगाना आवश्यक है जो बदले में आवेदनों की संख्या पर निर्भर करता है एवं यदि कर्मचारियों को समापन होने की तारीख के बाद वापस लेने की अनुमति दी जाती है तो बैंक के लिए योजना को लागू करना असंभव होगा। अतः, पैरा (5) कर्मचारी को दिनांक 1.3.2001 तक वापस लेने का समय देता है एवं बैंक को स्वीकृति के निर्दिष्ट तरीके को पूरा करने के लिए उसके बाद दो महीने का समय दिया जाता है। पैरा (5), (8) एवं (9)(i) को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि कर्मचारियों को दिनांक 1.3.2001 को योजना के बंद होने के बाद एसबीपी वीआरएस वापसी से रोक दिया गया है।

9. इस पृष्ठभूमि में, यदि हम उत्तरदाता-निगम द्वारा प्रस्तुत योजना के प्रावधानों पर गौर करें, तो योजना का उद्देश्य भारतीय खाद्य निगम की स्थापना व्यय को कम करने के उद्देश्य से मानव-शक्ति युक्तिकरण प्राप्त करना था, यह योजना तीन महीने की अवधि के लिए थी, अर्थात दिनांक 29.6.2004 से 29.9.2004 तक। अतः, इस मामले में भी, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के मामले में अभिनिर्धारित किया है, उत्तरदाता-निगम को योजना की निर्धारित समय अवधि के भीतर अपने कर्मचारियों द्वारा आवेदन दाखिल करने पर निधि बनाने की आवश्यकता थी एवं निधि का निर्माण आवेदनों की संख्या; योजना की लागत; देयता जो योजना निगम पर लगाएगी एवं ऐसे अन्य कारकों पर निर्भर करती है। अतः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त कानून के दृष्टिकोण में याचिकाकर्ता इस योजना की अवधि अर्थात दिनांक 29.9.2004 की समाप्ति से पहले स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अपने आवेदन वापस लेने के हकदार थे। इसके बाद किया गया आवेदन वापसी इस कारण से वैध नहीं था कि योजना की समयावधि के अंत में निगम को सभी आवेदनों पर विचार करना था तथा स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत भुगतान हेतु निधि का सृजन करना था, ऐसे में कोई भी कर्मचारी योजना में दी गई समयावधि की समाप्ति के बाद स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अपना आवेदन वापस लेने का हकदार नहीं था, अर्थात कर्मचारी दिनांक 29.9.2004 तक या स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु उनके आवेदनों की स्वीकृति से पहले, जो भी पहले हो, जैसी भी स्थिति हो, अपने स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन वापस लेने हेतु सशक्त थे तथा उसके बाद उन्हें अपने आवेदन वापस लेने से रोक दिया गया था।

10. इसके अलावा यदि हम पात्रता मानदंड के संबंध में प्रश्नगत योजना के पैरा 4 के उप-पैरा (2) पर गौर करें तो यह स्पष्ट है कि कोई भी कर्मचारी निर्धारित सीमा के भीतर सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

में तीन महीने का नोटिस देकर स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है तथा सक्षम प्राधिकारी को तीन महीने की नोटिस अवधि या नोटिस अवधि की शेष अवधि हेतु भुगतान करने के लिए अधिकृत किया गया था तथा वह नोटिस अवधि की समाप्ति की तिथि से पहले किसी भी तारीख से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध स्वीकार कर सकता था। ऐसी परिस्थितियों में, स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाले कर्मचारी को योजना की निर्धारित समयावधि के भीतर स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाले आवेदन को वापस लेने हेतु आवेदन करना आवश्यक था, अर्थात योजना की समय-सीमा समाप्त होने से पहले या उनके स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदनों के स्वीकृत होने से पहले, ताकि निगम यह आकलन कर सके कि कितने लोगों को स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति दी जानी है, क्योंकि उपरोक्त खंड के अनुसार प्राधिकरण को स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन की स्वीकृति के संबंध में योजना की अंतिम तिथि तक या स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन की स्वीकृति से पहले, जो भी पहले हो, जैसी भी स्थिति हो, निर्णय लेना आवश्यक था। योजना के पैरा 4 के उप-पैरा (2) के अनुसार प्राधिकरण नोटिस अवधि के भुगतान का आदेश देकर नोटिस अवधि की समाप्ति से पहले भी आवेदन स्वीकार करने का हकदार था, क्योंकि विवेकाधिकार प्राधिकरण पर छोड़ दिया गया था। अतः, ओ.पी. स्वर्णकार एवं स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (पूर्वोक्त) के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के दृष्टिकोण में याचिकाकर्ता अपनी स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति को वापस लेने की मांग करने के हकदार थे, हालांकि, योजना की समय अवधि के भीतर एवं उसके बाद या स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु उनके आवेदनों की स्वीकृति से पहले, जो भी पहले हो, जैसी भी स्थिति हो।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. अब उत्तरदाता-निगम के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए बिंदु पर आते हैं कि योजना की विधिमान्यता को चुनौती नहीं दी गई है, अतः, ये सभी रिट याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य हैं। ओ.पी. स्वर्णकार (पूर्वोक्त) के मामले में भी इसी तरह का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के पैराग्राफ 121 में इसे नकार दिया एवं यह अभिनिर्धारित किया कि :-

> ".....रिट याचिकाकर्तागण द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ योजना की विधिमान्यता पर सवाल उठाते हुए रिट याचिकाएं दायर की गई है। किसी भी स्थिति में, उक्त योजना के पैरा 10.5 की विधिमान्यता सवालों के घेरे में थी। यहां अपीलकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में "राज्य" हैं। इस प्रकार, रिट याचिकागण द्वारा उठाए गए सवाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा, अगर यह माना जाता है कि अपीलकर्ताओं की कार्यवाही मनमानी एवं अनुचित थी, तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अपराध होगा । इसके अलावा, कर्मचारी का रोजगार में बने रहने का अधिकार, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, कानून के अनुसार ही छीना

जा सकता था। *हर शंकर बनाम उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त* में इस न्यायालय का निर्णय उपयुक्त नहीं है। उस मामले में, यह न्यायालय इस प्रश्न से सम्बद्ध था कि क्या शराब की आपूर्ति के संविदा के शर्तों एवं नियमों को लागू करना, जो एक विशेषाधिकार है, रिट कार्यवाही में अनुमेय होगा। उपर्युक्त स्थिति में, रिट को संधार्य नहीं माना गया। ऐसी स्थिति यहाँ नहीं है।"

12. इसके अलावा अगर हम ओ.पी. स्वर्णकार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर गौर करें तो हम पाते हैं कि उस मामले में भी पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की वैधता एवं विधिमान्यता पर सवाल उठाया गया था, जबकि अन्य उच्च न्यायालयों के समक्ष वैधता एवं विधिमान्यता को चुनौती नहीं दी गई थी, तब भी न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि योजना का पैरा 10.5 प्रवर्तनीय नहीं था क्योंकि कर्मचारियों के पास इसे स्वीकार किए जाने से पहले अपना प्रस्ताव वापस लेने का अविभाज्य अधिकार है। अतः, उपर्युक्त के देखते हुए में याचिकागण के लिए संबंधित योजना की वैधता एवं संवैधानिकता को चुनौती देना आवश्यक नहीं होगा एवं इसे चुनौती दिए बिना, यदि उत्तरदाता की कार्यवाही मनमानी, अनुचित, तर्कहीन एवं योजना के अनुरूप नहीं पाई जाती है, तो न्यायलय उसे निष्क्रिय घोषित करने का हकदार है , क्योंकि कर्मचारियों को इसे स्वीकार किए जाने से पहले अपना प्रस्ताव वापस लेने का अपूरणीय अधिकार है। इन मामलों में परिपत्र दिनांक 22.9.2004 के अनुसार कर्मचारियों को स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करने वाले अपने आवेदन वापस लेने की अनुमति दी गई थी, हालांकि, विवेकाधिकार प्राधिकारी पर छोड़ दिया गया था। अतः, योजना के प्रावधानों की वैधता को चुनौती दिए बिना भी याचिकाकर्ता प्राधिकारी के फैसले को चुनौती देने के हकदार है, जहां स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन को वापस लेने के आवेदन को खारिज करने का फैसला विचारपूर्वक नहीं किया गया था एवं यह मनमाना, तर्कहीन एवं अनुचित था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. जहां तक बलराम गुप्ता (पूर्वोक्त) के निर्णय का संबंध है, जिस पर उत्तरदाता-निगम के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवलंब लिया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओ.पी. स्वर्णकार के मामले में पैराग्राफ 102 एवं 103 में उक्त निर्णय पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि :-

"न्यायलय केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 पर विचार कर रही थी, जो एक वैधानिक नियम है। नियम 48-ए का उप-नियम (4) प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना त्यागपत्र वापस लेने से रोकता है। उक्त नियम की विधिमान्यता प्रश्नगत नहीं थी" एवं आगे अभिनिर्धारित किया है कि "इसमें शामिल मुद्दा भिन्न आधार पर था एवं इस न्यायलय ने निम्नलिखित प्रभाव के लिए केवल एक टिप्पणी की कि यह एक हितकर आवश्यकता हो सकती है कि कोई सरकारी

कर्मचारी अपनी मर्जी से त्यागपत्र या स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति का पत्र वापस नहीं ले सकता एवं त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति का पत्र लिखकर एवं बिना किसी कारण के उसे तुरंत वापस लेकर सरकार को मुश्किल में नहीं डाल सकता। अतः, इस अपील के प्रयोजनार्थ, हम इस प्रश्न पर नहीं कर रहें है कि पेंशन नियमावली के नियम 48-ए का उपनियम (4) विधिमान्य है या नहीं।"

इस मामले में, विधिमान्यता प्रश्नगत नहीं है तथा त्यागपत्र वापस लेने का प्रतिबंध वैधानिक नियम में निहित था, अतः भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 5 उस मामले में लागू नहीं होती। अतः उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयज विधि वर्तमान मामले में लागू नहीं होता।

14. उपरोक्त के आलोक में, यदि हम याचिकाकर्ता श्री राम अवतार शर्मा के व्यक्तिगत मामले को देखें, जो डब्ल्यू.पी. क्रमांक 4429/2004 में है, तो उन्होंने दिनांक 7.7.2004 को स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा उसके पश्चात उन्होंने दिनांक 30.9.2004 को वापसी आवेदन (अनुलग्नक आर-2) वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक को प्रस्तुत किया, जबकि योजना की अंतिम तिथि दिनांक 29.9.2004 थी तथा अनुलग्नक पी-5 दिनांक 30.09.2004 के अनुसार याचिकाकर्ता राम अवतार शर्मा का स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन दिनांक 8.10.2004 से स्वीकार कर लिया गया था। अतः, इस कारण से कि स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन वापस लेने का आवेदन दिनांक 30.9.2004 को दाखिल किया गया था, यानी योजना की तीन महीने की अवधि समाप्त होने के बाद, एवं दूसरी बात यह कि वापसी आवेदन दाखिल करने की तिथि तक याचिकाकर्ता का स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन पहले ही आदेश दिनांक 30.9.2004 (अनुलग्नक पी-5) के तहत स्वीकार कर लिया गया था। जहां तक याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का सवाल है कि वापसी हेतु आवेदन 25.9.2004 (अनुलग्नक पी-4) को पहले ही दाखिल किया जा चुका था लेकिन उत्तरदातागण द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया, अनुलग्नक पी-4 के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा उस तिथि को आवेदन दाखिल करने के संबंध में उत्तरदातागण के किसी भी प्राधिकारी का पृष्ठांकन नहीं है, हालांकि, उत्तरदातागण द्वारा दिनांक 30.9.2004 को दाखिल अनुलग्नक आर-2 में याचिकाकर्ता ने स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन वापस लेने हेतु दिनांक 25.9.2004 को आवेदन प्रस्तुत किया था एवं उस आवेदन पर यह पृष्ठांकन है कि उसे 30.9.2004 को प्रस्तुत किया गया था। अतः, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि आवेदन वापस लेने हेतु दिनांक 25.9.2004 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था, उपरोक्त कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने योजना की अवधि के भीतर स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन वापस लेने हेतु आवेदन नहीं किया था। तदनुसार, मुझे इस रिट याचिका में कोई गुणागुण नहीं मिलता है, यह निरस्त किए जाने योग्य है एवं इसे निरस्त किया जाता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. अब डी.पी. राजपूत द्वारा दायर रिट याचिका क्रमांक 3842/2004 पर आते हैं। याचिकाकर्ता ने स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन दिनांक 3.7.2004 प्रस्तुत किया, उसने स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन वापस लेने हेतु आवेदन दिनांक 18.8.2004 (अनुलग्नक पी-5) प्रस्तुत किया एवं उसके बाद, उसने स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन वापस लेने हेतु फिर से आवेदन दिनांक 24.9.2005 (अनुलग्नक पी-7) प्रस्तुत किया, इस प्रकार याचिकाकर्ता ने योजना अवधि की समाप्ति से पहले दो आवेदन प्रस्तुत किए। इस प्रकार उसने समय के भीतर आवेदन वापस लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, अतः, उत्तरदाता-निगम का आदेश दिनांक 1.10.2004 (अनुलग्नक पी-10) जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकार किया गया था, अवैध एवं मनमाना माना जाता है, यह निरस्त किया जाने योग्य है एवं इसे निरस्त किया जाता है। उत्तरदातागण को याचिकाकर्ता को सेवा में वापस लेने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलीलों के दौरान स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता ने स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत कोई लाभ स्वीकार नहीं किया है, अतः याचिकाकर्ता सभी परिणामी लाभों का हकदार है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. अब याचिकाकर्ता पी.आर.के. राव द्वारा दायर रिट याचिका क्रमांक 3501/2004 पर आते हैं। याचिकाकर्ता ने स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति लेने हेतु आवेदन दिनांक 22.7.2004 प्रस्तुत किया, उसने योजना अवधि समाप्त होने से पहले दिनांक 22.9.2004 को इसे वापस लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। हालाँकि, योजना के पैरा 4 के अनुसार नोटिस अवधि का भुगतान करने के आदेश द्वारा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु उनका आवेदन दिनांक 31.8.2004 को ही स्वीकार कर लिया गया था, यहां तक कि याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति लाभों का चेक भी स्वीकार कर लिया था। चूंकि याचिकाकर्ता का स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन, वापसी हेतु आवेदन दायर किए जाने से पहले ही स्वीकार कर लिया गया था, अतः ओ.पी. स्वर्णकार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के दृष्टिकोण में, याचिकाकर्ता की याचिका में कोई गुणागुण नहीं है, एवं यह खारिज किये जाने योग्य है, अतः इसे खारिज किया जाता है।

17. जहां तक याचिकाकर्ता विनोद आचार्य द्वारा दायर रिट याचिका क्रमांक 3678/2004 का संबंध है, याचिकाकर्ता ने दिनांक 9.7.2004 को स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन (अनुलग्नक पी-4) प्रस्तुत किया, उन्होंने योजना अवधि के भीतर ही दिनांक 12.7.2004 के आवेदन (अनुलग्नक पी-5) के माध्यम से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन वापस ले लिया, तथापि, उत्तरदाता ने आदेश दिनांक 27.9.2004 (अनुलग्नक पी-1) के माध्यम से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया। अतः, उपरोक्त सिद्धांत के दृष्टिकोण में, दिनांक 27.9.2004 के स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति

आवेदन को स्वीकार करने वाले आदेश (अनुलग्नक पी-1) को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है एवं चूंकि याचिकाकर्ता ने सेवा में बने रहने हेतु इस न्यायालय से अपने पक्ष में पहले ही स्थगन प्राप्त कर लिया है, अतः, उन्हें सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाती है।

18. जहां तक याचिकाकर्ता मनहरण लाल गुप्ता द्वारा दायर डब्ल्यू.पी. क्रमांक 4059/2004 के संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 25.9.2004 दायर किया गया, उनके द्वारा वापसी आवेदन दिनांक 6.10.2004 दायर किया गया एवं स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन दिनांक 26.10.2004 को स्वीकार किया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता ने योजना की अवधि अर्थात दिनांक 29.9.2004 तक स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन वापस लेने हेतु कोई आवेदन दायर नहीं किया था, क्योंकि यह योजना के बंद होने की तारीख से सात दिनों के बाद दायर किया गया था, अतः, स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन की स्वीकृति वैध है, याचिकाकर्ता की याचिका खारिज किए जाने योग्य है एवं तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. जहां तक याचिकाकर्ता नीलकंठ प्रसाद शर्मा द्वारा दायर डब्ल्यू.पी. क्रमांक 4104/2004 के संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन दिनांक 24.9.2004 को दायर किया गया था तथा वापसी आवेदन दिनांक 29.9.2004 को अर्थात् योजना अवधि की अंतिम तिथि को दायर किया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता ने वापसी आवेदन दिनांक 29.9.2004 को योजना अवधि की अंतिम तिथि को दायर किया था, अतः उत्तरदातागण को याचिकाकर्ता को सेवा में बने रहने देना चाहिए था, किन्तु उत्तरदातागण ने याचिकाकर्ता का स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन दिनांक 21.10.2004 को स्वीकार कर लिया था। अतः याचिकाकर्ता द्वारा समय रहते वापसी आवेदन दायर करने के पश्चात भी दिनांक 21.10.2004 को याचिकाकर्ता का स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन स्वीकार करने का आदेश अवैधानिक तथा याचिकाकर्ता के लिए निष्क्रिय है तथा निरस्त किये जाने योग्य है, अतः इसे निरस्त किया जाता है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ने स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कोई लाभ नहीं लिया है।

20. परिणामस्वरूप, रिट याचिका क्रमांक 3501/2004, 4429/2004 एवं 4059/2004 को खारिज किया जाता है एवं रिट याचिका क्रमांक 3842/2004, 3678/2004 एवं 4104/2004 को उपरोक्त आदेशानुसार स्वीकार किया जाता है।

सही/-
(एल.सी. भादू)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा एवं कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Anusha Naik, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur